

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

प्रकरण क्रमांक:- 208/2015 नि०फौ०

संस्थित दिनांक 14-09-2015

श्रीमती सलमा पुत्री रहीश खॉ पत्नी असपाक,
उम्र 22 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम
दीपेरा, तहसील जौर, जिला मुरैना म.प्र.। हाल
निवासी- वार्ड नम्बर 14 कस्बा गोहद जिला
भिण्ड म०प्र०

-----निगरानीकर्ता / आवेदिका

बनाम

असपाक खॉ पुत्र गफूर खॉ उम्र 25 वर्ष, जाति
मुसलमान, निवासी ग्राम दीपेरा तहसील जौरा
जिला मुरैना म०प्र०।

-----प्रतिनिगरानीकर्ता / अनावेदक

निगरानीकर्ता द्वारा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव अधिवक्ता।
प्रतिनिगरानीकर्ता द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता।

//आ दे श//

//आज दिनांक 27-05-2016 को पारित किया गया//

01. निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 397 जा०फौ० का निराकरण इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। जिसमें कि निगरानीकर्ता के द्वारा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद पीठासीन अधिकारी श्री केशवसिंह के न्यायालय के प्र०कं० 22/2014 मु०फौ० श्रीमती सलमा बनाम असपाक में पारित आदेश दिनांक 01.09.2015 से व्यथित होकर पेश की गई है, जिसमें कि निगरानीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 125 दं.प्र.सं. निरस्त किया गया है।

02. यह अविवादित है कि पुनरीक्षणकर्ता/आवेदिका का विवाह गैर पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदिका के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के साथ सम्पन्न हुआ था। सुविधा की दृष्टि से पुनरीक्षणकर्ता को आवेदिका के रूप में एवं गैर पुनरीक्षणकर्ता को अनावेदक के रूप में संबोधित किया जायेगा।

03. वर्तमान निगरानी के संबंध में सुसंगत तथ्य इस प्रकार से हैं कि निगरानीकर्ता/ आवेदिका का निकाह प्रतिनिगरानीकर्ता/अनावेदक के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के साथ जौर में हुए विवाह सम्मेलन में सम्पन्न हुआ था। विवाह के कुछ समय पश्चात् तक आवेदिका को अच्छा रखा, परंतु तीन माह बाद अनावेदक व उसके माता पिता आवेदिका को दहेज लाने के लिए दबाव बनाने लगे और कहा कि दहेज कम दिया है हमें दहेज में एक लाख रूपए व एक सोने की चैन चाहिए। आवेदिका के द्वारा उसके माता पिता गरीब होना और दहेज देने में समर्थ न होने से दहेज देने से मना किया तो अनावेदक व उसके माता पिता आवेदिका की मारपीट करने लगे तथा खाने पीने के लिए तंग करने लगे और उसे एक साड़ी में घर से बाहर निकाल दिया। तब से वह अपने माता पिता पर बोझ बनकर गोहद में रह रही है। उसके पास आय का कोई साधन नहीं है, जबकि अनावेदक के पास ग्राम दीपेरा में तीन बीघा कृषि भूमि है तथा दो भैंस हैं और स्वयं टेलरिंग का काम करता है, जिससे उसे कुल 1,96,000 वार्षिक आय होती है। अतः आवेदिका को 5000/- रूपए प्रति माह भरण पोषण राशि दिलाई जावे। जिसे कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.09.2015 को निरस्त किया गया है।

04. निगरानीकर्ता के द्वारा वर्तमान निगरानी मुख्य रूप से इन आधारों पर पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई हुई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पर सही विवेचन न कर आलोच्य आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा केवल प्रतिनिगरानीकर्ता की ओर ध्यान केन्द्रित करते हुए उक्त आवेदनपत्र निरस्त किया गया है, जबकि आवेदिका साक्षियों के द्वारा बताया गया है कि अनावेदक आवेदिका की दहेज की मांग को लेकर मारपीट करता था। आवेदिका अनावेदक की विवाहिता पत्नी है उसे बिना किसी युक्तियुक्त कारण को अनावेदक ने छोड़ दिया है। आवेदिका अनपढ़ महिला है जबकि अनावेदक चालाक किश्म का व्यक्ति है जिसके द्वारा छल पूर्वक धोखे से तलाकनामा लिखा लिया गया है। आवेदिका के पास आय का कोई साधन नहीं है, जबकि अनावेदक साधन सम्पन्न व्यक्ति है। अतः अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा विचार न करते हुए आलोच्य आदेश पारित करने में गंभीर भूल की है। निगरानी स्वीकार कर विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 01.09.2015 को आपस्त करते हुए 5000/- रूपए प्रतिमाह भरण पोषण बावत् अनावेदक से दिलाए जाने का निवेदन किया है।

05. प्रतिनिगरानीकर्ता ने विचारण न्यायालय के आदेश को उचित रूप से पारित किया जाना बताते हुए उसमें कोई हस्तक्षेप अथवा फेरबदल करने का कारण न होना बताते हुए निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने का निवेदन किया है।

06. उपरोक्त निगरानी के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय यह हो जाता है कि— क्या विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 01.09.2015 वैधता, शुद्धता एवं औचित्यता की दृष्टि से स्थिर रखे जाने योग्य न होकर अपास्त किये जाने योग्य है?

//निष्कर्ष के आधार//

07. वर्तमान पुनरीक्षण के संबंध में आवेदिका के द्वारा व्यक्त किया गया कि विचारण न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आयी हुयी साक्ष्य के संबंध में उचित रूप से विचार नहीं किया गया है । आवेदिका अनावेदक की विवाहिता पत्नी है और विवाहिता पत्नी होने के कारण वह भरण पोषण की अधिकारिणी थी उसके उपरांत भी विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्य पर विचार नहीं किया है । अनावेदक अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि स्वयं आवेदिका के द्वारा वैवाहिक संबंधों का पालन नहीं किया गया और वह बिना किसी युक्तियुक्त पर्याप्त कारण के अनावेदक से पृथक रह रही है । इसके अतिरिक्त आवेदिका एवं अनावेदक के मध्य मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार तलाक भी हो चुका है । इस परिप्रेक्ष्य में भरण पोषण प्राप्त करने की आवेदिका अधिकारिणी नहीं है । पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है ।

08. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया । यद्यपि आवेदिका का विवाह अनावेदक के साथ सम्पन्न होने के संबंध में साक्ष्य आयी है किन्तु आवेदिका ने स्वयं स्वीकार किया है कि अनावेदक के साथ शादी के उपरांत उसका कोई भी शारीरिक संबंध नहीं हुआ था और यह बता रही है कि शादी जबरदस्ती घरवालों ने कर दी है । यह भी उल्लेखनीय है कि दोनों पक्षों के मध्य तलाकनामा की लिखापट्टी हुयी है जो कि प्र0डी01 के रूप में है । उक्त तलाकनामों पर आवेदिका की फोटो लगी है और अंगूठा निशानी भी लगा है । अपने तर्क के दौरान आवेदिका अधिवक्ता ने भी यह व्यक्त किया कि दोनों पक्षों के मध्य उनकी धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार तलाक हो चुका है ।

09. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में जबकि आवेदिका के द्वारा अनावेदक के साथ कभी भी वैवाहिक संबंधों की स्थापना नहीं की गयी है । इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों के मध्य तलाक होने का तथ्य भी प्रमाणित है । इस परिप्रेक्ष्य में आवेदिका अनावेदक से भरण पोषण के रूप में कोई भी राशि प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है । इस बिन्दु पर विचारणीय न्यायालय के द्वारा आदेश दिनांक 1-9-15 पारित करने में किसी प्रकार की अवैधानिकता या अशुद्धी नहीं की गयी है । बल्कि प्रकरण में आयी हुयी साक्ष्य पर समुचित रूप से विचार करते हुये प्रश्नाधीन आदेश पारित करते हुये आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 125 द0प्र0सं0 निरस्त किया गया है ।

10. अतः विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 1-9-15 में हस्तक्षेप करने अथवा किसी प्रकार के फेरबदल करने का कोई कारण व आधार नहीं पाया जाता है । विचारण न्यायालय के उक्त आदेश की पुष्टि की जाती है । और पुनरीक्षणकर्ता/आवेदिका की ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण सारहीन होने से निरस्त की जाती है ।

11. आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस किया जाये ।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)